लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
026/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/91)	12-04-2024	07-05-2024

अनवान

शांतिलाल छीपा, बालाजी नमकीन नाश्ता, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./026/2024(सू.अ.) (30.04.2024)/175 दिनांक 12.04.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 07.05.2024 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/104 दिनांक 30.04.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री शांतिलाल छीपा, बालाजी नमकीन नाश्ता, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 06 के संबंध में आयुक्त, नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024216 दिनांक 19.01.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 06(03) के तहत अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना से अवगत करवा दिया गया था। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र बिन्दु संख्या 05 न्याय अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 01 से वांछित सूचना आवक–जावक शाखा से प्राप्त कर प्रार्थी को निःशुल्क भिजवाई जा चुकी है। (प्रति संलग्न)
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 02, 03, 04 से वांछित सचूना के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/16 दिनांक 19.01.2024 से अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
5. यह कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण में अपील निस्तारण योग्य है।
6. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 16.01.2024 के बिन्दु संख्या 06 की सूचना आवेदक/अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन को आवेदन के संबंध में वांछित हेतु सक्षम लोक सूचना अधिकारी को अन्तर्गत धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अंतरित कर दिया गया है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अंतरण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विहित समायवधि में किया जाकर कर आवेदक को सूचित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा, तथा आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आवेदक आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़ के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र है। इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 16.01.2024 के बिन्दु संख्या 02, 03, 04 के संबंध में आवेदन निरस्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 के अवलोकन से जाहिर होता है कि बिन्दु संख्या 02, 03 व 04 से वांछित सूचना सृजनात्मक प्रकृति की है, जिससे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बिन्दु संख्या 02, 03 व 04 के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किया गया है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत किया जाना प्रतिवेदित होता है। इसके साथ ही आवेदन दिनांक 16.01.2024 से वाछित बिन्द संख्या 01 व 05 की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग एवं प्रभारी अधिकारी आवक–जावक अनुभाग से प्राप्त से निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 16.01.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 16.01.2024 को प्राप्त हुआ बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official